कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2184 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 28 फरवरी, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।
वन अनुभाग–3

विषयः– **जनपद–बोगेश्वर के अन्तर्गत कमेड़ीदेवी से झाकरा तक 3.00 किमी0 मोटर के निर्माण हेतु 1.47 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
(Online Proposal No.-FP/UK/ROAD/10468/2015)

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 1783/ FP/UK/ROAD/10468/2015 दिनांक 28–01–2023। **(छायाप्रति संलग्न)**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 12–08–2016 से सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन जारी की गई थी, जिसकी अनुपालन ऑख्या इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गई थी, किन्तु प्रस्ताव की अनुपालन ऑख्या कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी कारणों से ऑनलाईन अपलोड नहीं की जा सकी वर्तमान में प्रस्ताव की अनुपालन ऑख्या ऑनलाईन इस कार्यालय को प्राप्त हो गई है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशाधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु प्रस्ताव अपने स्तर से भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः– यथोपरि।</u>

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 2184/12–1 तदि्दनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
2– अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 275 /2ई0 दिनांक 14 / 02 / 2025

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– **सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरण में ऑनलाइन अनुपालन आख्या अपलोड एवं राज्य सरकार को विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि इस खण्ड के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 **FP/UK/ROAD/10468/2015** की सैद्धान्तिक स्वीकृति वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 804/X-4-16/1(230)/2016 प्राप्त हुयी थी। जिसकी विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या आफलाइन आपके कार्यालय पत्रांक सं0 173/**FP/UK/ROAD/10468/2015** दिनांक 28.01.2023 द्वारा सचिव वन अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की गयी थी **(छायाप्रति संलग्न),** परन्तु वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या ऑनलाइन अपलोड कर राज्य सरकार को प्रेषित नहीं हो पायी है।

अतः उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या ऑनलाइन अपलोड कर राज्य सरकार को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न–पत्र की छायाप्रति।

भवदीय
14/02/25
(इं0 अमित कुमार पटेल)
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0,कपकोट

पत्रांक / दिनांक /02/2025

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता प्रथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0,कपकोट

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक— / FP/UK/ROAD/10468/2015 देहरादूनः दिनांकः 28 जनवरी 2023

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग—3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय :— जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेड़ीदेवी से झांकरा तक 3.00 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :— वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 804 / X-4-16/1(230)/2016 दिनांक 12—08—2016

महोदय,

शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 2815 / 12—1—2 दिनांक 19.01.2023 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:—

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.94 है0 सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित / संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	शर्त संख्या—1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.94 सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रू0 12,53,481.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक—1) उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के नाम अमलदरामद भी कर दिया गया है। अमलदरामद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक—2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस—पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त संख्या—2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस—पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 8,19,275.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक—1 के अनुसार)
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0— 566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5—3 / 2007—एफ0सी0 दिनांक 05—02—2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या—3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0—566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5—3 / 2007—एफ0सी0 दिनांक 05—02—2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रू0 9,65,790.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक—1 के अनुसार)
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या—4 के अनुपालन में यदि सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढ़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक—3)

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 9,65,790.00, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 12,53,481.00 तथा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 8,19,275.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 30,38,546.00 चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। धनराशि की पुष्टि हेतु चालन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–1 के अनुसार)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–4)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक–5)
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
9	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	शर्त संख्या–9 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 5–3/2011–एफ0सी0(Vol-I), दिनांक 06–01–2022 के आदेशानुसार बढ़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जानी अपेक्षित है। प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त ही जारी किया जाना उचित होगा। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–1782/FP/UK/ROAD/10468/2015 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण पर भारत सरकार के आदेश दिनांक 06–01–2022 के अनुसार बढ़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करवाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति जारी की जा सके।
2. प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।